

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2019/38)

दिनांक:- 14/05/2019

--:आदेश:-

राज्य के नीतिगत दस्तावेज (Policy Document) जन घोषणा पत्र (Manifesto) में वर्णित खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 97 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के उद्देश्य से तथा खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

● राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति (Quality Control Committee)

- | | |
|--|---------|
| 1 आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं | अध्यक्ष |
| 2 अतिरिक्त निदेशक (ग्रा स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं | सचिव |
| 3 नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं | सदस्य |
| 4 मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

● जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति (Quality Control Committee)

- | | |
|---|---------|
| 1 सम्बन्धित जिले के संभाग के संयुक्त निदेशक, जोन | अध्यक्ष |
| 2 सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सचिव |
| 3 सम्बन्धित जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) | सदस्य |
| 4 सम्बन्धित जिले के खाद्य विश्लेषक | सदस्य |
| 5 सम्बन्धित जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी | सदस्य |

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त जारी किये गये हैं।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2019/38)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
- 7 नॉडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
- 8 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन राजस्थान।
- 9 समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 10 समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
- 11 मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।
- 12 समस्त खाद्य विश्लेषक, राजस्थान।
- 13 समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान।
- 14 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 15 रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।